

राजस्थान सरकार




## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 609 जयपुर/2006-07

यह प्रमाणित किया जाता है कि एजुकेशनल कल्चर  
सोसायटी जिला जयपुर  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक 5 माह दिसम्बर सन दो हजार ६  
को जयपुर में किया गया।



(प्रहलाद आभिरामा)

रजिस्ट्रार संस्थाएं  
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352

2751417

*P. K. Gupta*  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

Reg. No.- 609/Jaipur/2006-07

# EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.)

3/585, Pradhan Marg, Malviya Nagar,  
Jaipur (RAJ.) - 302 017  
Ph/Fax : 0141-2521639, Mob : 94140-74670

Ref. No. :

Dated: 7 / 12 / 19

## नवीन कार्यकारिणी (2017-19)


क्रम संख्या	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	सं. पुस्तक सं. ....
1	पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री के०एल० गुप्ता	नौकरी	124/8, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
2	श्रीमती डॉ० ललिता पवन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	नौकरी	3/585, प्रधान मार्ग, नगर, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
3	श्री गिर्राज सिंह पुत्र श्री नत्थी लाल	नौकरी	170/64, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
4	श्री विष्णुदत्त शर्मा पुत्र श्री ओ०पी० शर्मा	व्यापार	80/394, मानसरोवर, जयपुर,	सं. पुस्तक सं. ....
5	श्री बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	नौकरी	80/426, प्रताप नगर, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
6	श्रीमती सुनिता हंगलू पुत्री श्री माखन लाल रैना	गृहणी	2-बी, लवण मार्ग, झालाना इंगरी, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
7	श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता	व्यापार	123/157, मानसरोवर, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
8	श्री बट्टी प्रसाद मीणा पुत्र श्री बल्लू राम मीणा	नौकरी	72/17 सी, कागड़ीवाड़ा, ब्रहमपुरी, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
9	श्री मोहन लाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैया लाल	व्यापार	2-जगदीश विहार, जगतपुरा, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
10	श्रीमती अल्का पारीक पुत्री श्री के०सी० पारीक	नौकरी	127-शिव कॉलोनी, टॉक फाटक, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....
11	श्री हरिकृष्ण जांगिड़ पुत्र श्री सुखराम जांगिड़	व्यापार	18-राधाकिशन कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर	सं. पुस्तक सं. ....

  
P.K. Gupta

PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

  
Lalita Rawan

Secretary  
Educational Culture Society

  
Sujit Singh

Treasurer  
Educational Culture Society

  
P.K. Gupta  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

# EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.)


3/585 Pradhan Marg, Malviya Nagar,  
Jaipur (RAJ.)-302017  
Ph/Fax: 0141-2521639, Mob: 941407

RefNo.....

Dated 2. 3. 11


## तुलनात्मक स्टेटमेंट

क. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम (पुराना पता)	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया पता)
1.	1958 की धारा 4 व 12 धारा संख्या 2 (टी)	3/571, प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर	3/585 प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर


  
अध्यक्ष  
(पवन कुमार गुप्ता)



राज्य मंत्री-  
डा० (श्रीमति) ललिता पवन 1958

  
कक्षाध्यक्ष  
(समीर इंगल)

य. संख्या  
वि. संख्या  
पृष्ठ संख्या  
तक  
1 नकल 07-06-2011  
2 नकल तैयार करने  
वाले के हस्ताक्षर

  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY  
रजिस्ट्रार संस्था  
जयपुर

# EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.) 53

## नवीन कार्यकारिणी 2012-13

क्र. संख्या	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1.	पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री के०एल०गुप्ता	नौकरी	121/8 भगवान काम भानसरोवर, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ललिता पवन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	नौकरी/ व्यवसाय	3/ 585, प्रमान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।	मंत्री
3.	समीर हंगलू पुत्र श्री डी०एन०हंगलू	नौकरी	7-वी लक्ष्मण मार्ग, झालाना झूगरी, जयपुर।	कोषाध्यक्ष
4.	श्री विष्णु दत्त शर्मा पुत्र श्री ओ०पी०शर्मा	व्यापार	103/394 मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री रघुश्याम शर्मा	नौकरी	103/426 प्रताप नगर, जयपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती सुनीता हंगलू पुत्री श्री माखन लाल रैना	गृहणी	7-वी लक्ष्मण मार्ग, झालाना झूगरी, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता	व्यापार	121/157, मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
8.	डा०एस०पी०सिंह पुत्र श्री नरेत्तन सिंह	डॉक्टर	1197, मालवीय नगर, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री मोहन लाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैया लाल	व्यापार	2- जगदीश विहार, जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य
10.	श्रीमती अल्का पारीक पुत्री श्री के०सी०पारीक	नौकरी	127 - शिव कॉलोनी टोक फाटक, जयपुर	सदस्य
11.	श्री हरि कृष्ण जागिड पुत्र श्री सुखराम जागिड	व्यापार	18- राधा किशन कॉलोनी जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य

  
 President  
 Educational Culture Society

  
 Secretary  
 Educational Culture Society

  
 Treasurer  
 Educational Culture Society

दिनांक

पृष्ठ

संख्या

1 नवंबर

2 नवंबर

3 नवंबर

5-2-13



# EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY (REGD.)

3/571 Pradhan Marg, Malviya Nagar,  
Jaipur (RAJ)-302017  
Ph/Fax: 0141-2521639, Mob: 9414074670

No.....

Dated.....

## नवीन कार्यकारिणी 2010 - 11

क्र. संख्या	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री के०एल०गुप्ता	नौकरी	124/8 अथवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती ललिता पवन पुत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा	नौकरी/ व्यवसाय	3/571, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।	मंत्री
3.	समीर हंगलू पुत्र श्री डी०एन०हंगलू	नौकरी	2-बी लवण मार्ग, झालाना डूंगरी, जयपुर।	कोषध्यक्ष
4.	श्री विष्णु दत्त शर्मा पुत्र श्री ओ०पी०शर्मा	व्यापार	80/394 मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री बाबू लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा	नौकरी	80/426 प्रताप नगर, जयपुर।	सदस्य
6.	श्रीमती सुनीता हंगलू पुत्री श्री माखन लाल रैना	गृहणी	2-बी लवण मार्ग, झालाना डूंगरी, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री संतोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री किशोरी लाल गुप्ता	व्यापार	123/157, मानसरोवर, जयपुर।	सदस्य
8.	डा०एस०पी०सिंह पुत्र श्री नरेतन सिंह	डॉक्टर	1/1197, मालवीय नगर, जयपुर।	सदस्य
9.	श्री मोहन लाल आमेरिया पुत्र श्री कन्हैया लाल	व्यापार	2- जगदीश विहार, जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य
10.	श्रीमती अल्का पारीक पुत्री श्री के०सी०पारीक	नौकरी	27 - शिव कॉलोनी, टोक फाटक, जयपुर।	सदस्य
11.	श्री हरि कृष्ण जागिड पुत्र श्री सुखराम जागिड	व्यापार	18- राधा किशन कॉलोनी जगतपुरा, जयपुर।	सदस्य

R.K. राज. संस्था  
Secretary  
Educational Culture Society

Treasurer  
Educational Culture Society

यह प्रमाणित है कि  
विवरण में उक्त व्यक्तियों का नाम जो

पृष्ठ सं. ... 26  
तक है, किंतु ...

1 नकल ... 03-08-2010

2 नकल ...

वाले के हस्ताक्षर

...

राजस्थान संस्थान  
जयपुर

PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

IX/11/11



# आवेदन प्रपत्र



मुद्रक एवं विक्रेता :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

नो-1/138, मालवीय कृषि क्षेत्र, जयपुर। फोन: 2751352, 2751417

प्राप्ति स्थल :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.

पोलोविट्टी के पास, जयपुर। फोन: 23/4969

हम निम्न प्रस्तावनाओं/सिद्धि पत्राधिकारों/प्रस्तावित संस्था

1. हारी प्रस्तावित संस्था के नाम पत्र पर पूर्व में इत क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। अर्थात् संस्था अन्य किसी नाम उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं है।
2. प्रस्तावित संस्था की प्रधान नियमावली की विन्दु सं. 2 व 3 के अ तर्जि अपना कयादेश में उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
3. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था संजिम्हीकरण आंदोलन, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत आती है, के अन्तर्गत संस्था की कार्यकारिणी का पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का बाध विरोध नहीं होगा।
4. प्रस्तावित संस्था का उद्देश्य सामाजिक कार्य करना है। संस्था का उद्देश्य उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का बाध विरोध नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था की परिस्थिति में संस्था के कार्य में बाध विरोध नहीं होगा। संस्था का उद्देश्य उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का बाध विरोध नहीं होगा।
6. यदि भविष्य में संस्था के समय इस संस्था के कार्य में बाध विरोध होगा तो संस्था को पंजीकृत संस्था का पंजीकृत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
7. भविष्य में संस्था के कार्य में बाध विरोध होगा तो संस्था को पंजीकृत संस्था का पंजीकृत उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

अध्यक्ष

नाम

सहयोगी

हम उक्त संस्था को पंजीकृत संस्था के अन्तर्गत आती है, के अन्तर्गत संस्था की कार्यकारिणी का पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का बाध विरोध नहीं होगा।

अध्यक्ष

नाम

नोट - यह संस्था के अन्तर्गत आती है, के अन्तर्गत संस्था की कार्यकारिणी का पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का बाध विरोध नहीं होगा।

**विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें**

1. संस्था की पदाधिकारियों द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्तन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।
---------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिविधि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र  
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था-रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नियम/नियम)
---------	----------------------	-----------------------	---

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हो।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल/पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।



# विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
  2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
  3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
  4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
  5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
  6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि क्रम से क्रम 7 सदस्यों ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
  7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावे। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
  8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।
- धारा - 20
9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, (खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोत्तति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।
  10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावे।
  11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।
1. राज. राज-पत्र 11/सोसांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समिति/ग्राम, नवयुवक पत्रिका के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 80 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाइल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
19. अन्य संस्थाएँ जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।  
 एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी उनके बच्चे और उम्रत बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपण आश्रित हो।
20. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
21. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम इंजुमेशनल कल्चर प्रोमोति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 3/57, प्रधान मार्ग, प्रयाग  
 तथा कार्यक्षेत्र : जयपुर  
 तथा इसका कार्यक्षेत्र : जयपुर क्षेत्र तक सीमित है।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

EDUCATIONAL

1. समाज में साक्षरता दर, मूलभूत शिक्षा व वृद्ध शिक्षा बढ़ाने का प्रयत्न करना।
2. रंग, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण का भेदभाव किए बिना सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन करना।
3. आर्थिक रूप से कमजोर व समाज के उपेक्षित छात्रों के लिए विशेष सहायता को बढ़ावा देना।
4. सामाजिक पर्यावरण मित्रवतता के विकास के लिए जागरूकता फैलाने को बढ़ावा तथा बालिका/महिला शिक्षा, गरीब व अनाथ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
5. युवा, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्वयं सहायता आधार पर प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण।
6. जरूरतमंदों, मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आसरा, उत्तम शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण व प्रदान करना।
7. शैक्षिक केंद्रों, सभागार एवं वाचनालयों को खोलना, निर्माण व विकास करना।
8. शैक्षिक मार्गदर्शन केंद्रों, सत्त्व आदान-प्रदान केंद्रों तथा करियर संलाह ब्यूरो की आवश्यकता निर्धारण व विकास करना।
9. पुराने अंग्रेजी पुस्तकों व प्राचीन भाषा व साहित्य का रखरखाव के लिए कार्यक्रम व प्रोजेक्ट की संरचना व कार्यान्वयन करना।
10. प्राचीन एवं सिन्धरी भाषाओं को गीखने के लिए शैक्षिक केंद्रों को खोलना।
11. सभी के लिए शारीरिक एवं खेल-कूद की शिक्षा को बढ़ावा देना।
12. शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
13. अनुसंधान एवं खोजपूर्ण विद्यार्थी तथा शैक्षिक दर को उपर उठाने तथा समाज में शिक्षा की दशा सुधारने के प्रोजेक्ट को प्रायोजित करना।
14. गुरुकुल शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रथा को बढ़ावा देना।
15. यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा की शिक्षा को बढ़ावा देना।
16. समाज पारम्परिक साहित्यिक खलों को बढ़ावा देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।


  
 अध्यक्ष

Lulita Pawan  
 मंत्री  
 (4)



संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
	पवन कुमार गुप्ता S/O श्री ०० राम० गुप्ता	नर्सरी	8/124, अमृतसर मार्ग मानसरोवर - जयपुर	उपध्यक्ष
	श्रीमती अश्विनी कनका पुत्री श्री अमृत प्रकाश शर्मा समीर हेमालु S/O श्री डी० स्नेह हेमालु	नर्सरी (मायका) नर्सरी	3/1571, प्रयाग नगर भालवीय नगर, जयपुर	संयोजक
	श्री विष्णु कृष्ण शर्मा पुत्री श्री अमृत शर्मा	व्यापार	2-वीं एम० आर झालाना झूरी, जयपुर	कोषाध्यक्ष
	श्री अशोक शर्मा श्री अशोक शर्मा	नर्सरी (PVT)	87/394, आनंदनगर, जयपुर	सदस्य
	श्री सुनील हेमालु श्री अशोक शर्मा	गृहणी	2-वीं एम० आर, जयपुर	सदस्य
	श्री अशोक शर्मा गुप्ता श्री अशोक शर्मा	व्यापार	123/157, आनंदनगर, जयपुर	सदस्य
	श्री अशोक शर्मा	नर्सरी	1/1197, आनंदनगर, जयपुर	सदस्य
	श्री अशोक शर्मा	व्यापार	2-जवाहीर विहार, जयपुर	सदस्य
	श्री अशोक शर्मा	नर्सरी (मायका)	127-श्री अशोक शर्मा, जयपुर	सदस्य
	श्री अशोक शर्मा	व्यापार	18-श्री अशोक शर्मा, जयपुर	सदस्य



P. D.  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

सुपु  
सदस्य

Lalita Kumari  
सदस्य  
(5)

सुपु  
सदस्य

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संघ के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	P.K. GUPTA, P.K.L. GUPTA	SERVICE	8/124, Mansarovar, JAIPUR	
2.	MRS. LALITA PAWAN	SERVICE/BUSINESS	3/571, Malviya Nagar, JAIPUR	
3.	D/OSW O.P. SHARMA	SERVICE	28-LAVAN, MALVIYA NAGAR, JAIPUR	
3.	SUMEER HANGLOO	BUSINESS	80/394, Mansarovar, JAIPUR	
4.	S/O SURI D.N. HANGLOO	BUSINESS	1/1197 Malviya Nagar, JAIPUR	
4.	VISHNU DUTT SHARMA			
4.	S/O SARI D.N. PRAKASH SHARMA			
5.	DR. S.P. Singh	Doctor		
5.	S/O S/O. Nand Lal Singh			
6.	BABULAL SHARMA	PT SERVICE	80/426 Pratap Nagar, JAIPUR	
6.	S/O SA. RADHEY SHYAM SHARMA			
7.	MRS. SUNITA HANGLOO	HOUSE WIFE	28-LAVAN NAGAR, JAIPUR	
7.	D/O SHRIMAKHANILAL RAJWA			
8.	SANTOSH KUMAR GUPTA	BUSINESS	123/137, A.SARANI FARM, JAIPUR	
8.	S/O S/O. K. LAL GUPTA			
9.	MOHAN LAL AMERIA	BUSINESS	2-JAGDISH VIHAR, JAGATPUR, JAIPUR	
9.	S/O SHRI. KAHNHA LAL GUPTA			
10.	MRS. ASBA PAREEK	LECTURER/SERVICE	127-SHIV COLONY, TONK PHATAK, JAIPUR	
10.	D/OSH (WIFE) K.C. PAREEK			
11.	HARI KISHAN JANGID	BUSINESS	18-RADHA KISHAN COLONY, JAGATPUR, JAIPUR	
11.	S/O S/O. CHRAM JANGID			
12.	KAMAL KISHOR DUA	BUSINESS	55-NAND PURI, JAGATPUR, JAIPUR	
12.	S/O SURI RABARAM DUA			
13.	SAJAY KUMAR SINHA	SERVICE	172/25, PRATAP NAGAR, JAIPUR	
13.	S/O SHRI GOPAL PRASAD			
14.	GIPPAI SINGH	SERVICE	176/64, PRATAP NAGAR, JAIPUR	
14.	S/O SURI NATHI LAL			
15.	BADRI PRASAD MEENA	SERVICE	72/17C-KAGDIWADA, BRAMH POKI-JAIPUR	
15.	S/O SHRI BALLODRAM MEENA			

अध्यक्ष

Lalita Pawan  
सचिव

(6)

नाम व पिता का नाम      व्यवसाय      पूर्ण पता      हस्ताक्षर



609  
 एज्युकेशनल कल्चर सोसायटी  
 मूल प्रति  
 16/1  
 4-12-86  
 ✓

3.  
4.  
5.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

Rajeev Mathur

1. हस्ताक्षर  
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

Rajeev Mathur, Service  
 521586 Bata Nagar  
 Jaipur

[Signature]  
 अध्यक्ष

[Signature]

उप-केन्द्रीय प्रासंगिकता अधिकारी  
 सहायक प्रामाणिकता सूचो,  
 (गृह मन्त्रालय) भारत सरकार  
 गयपुर (राज.)

[Signature]

2. हस्ताक्षर  
 (नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(PRAHLAD MARAYAN MEENA)  
 SERVICE, 2-B, Lavan nagar Jaipur

[Signature]

Lalika Pankaj  
 मंत्री

(7)

[Signature]  
 PRESIDENT

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

विधान (नियमावली)

EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम एज्युकेशनल कल्चर सोसिटी/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 3/571 पुष्पान जग्री, भाद्रपथी, जयपुर तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

EDUCATIONAL

1. समाज में साक्षरता दर, मूलभूत शिक्षा व वृद्ध शिक्षा बढ़ाने का प्रयत्न करना।
2. रंग, जाति, लिंग, धर्म, वर्ण का भेदभाव किए बिना सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन करना।
3. आर्थिक रूप से कमजोर व समाज के उपेक्षित छात्रों के लिए विशेष सहायता को बढ़ावा देना।
4. सामाजिक भ्रष्टाचार, मित्रता के विकास के लिए जागरूकता फैलाने को बढ़ावा देना।
5. तथा बालिका/महिला शिक्षा, शैशव व अनाथ बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
6. युवा, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्वयं सहायता आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण करना।
7. जरूरतमंदों, मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आसरा, उत्तम शिक्षा एवं प्रशिक्षण संचितियों का निर्माण व प्रदान करना।
8. शैक्षिक केन्द्रों, समागार एवं वाचनालयों को खोलना, निर्माण व विकास करना।
9. शैक्षिक मार्गदर्शन केन्द्रों, सूचना आदान-प्रदान केन्द्रों तथा कैरियर सलाह ब्यूरो की आयोजना, निर्माण व विकास करना।
10. पुराने साहित्य पुस्तकों व प्राचीन भाषा के साहित्य का रखरखाव के लिए कार्यक्रम व प्रोजेक्ट की संरचना व कार्यान्वयन करना।
11. प्राचीन एवं विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए शैक्षिक केन्द्रों को खोलना।
12. सभी के लिए शारीरिक एवं खेल-कूद की शिक्षा को बढ़ावा देना।
13. शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
14. अनुसंधान एवं खोजपूर्ण विचारों तथा शैक्षिक दर को ऊपर उठाने तथा समाज में शिक्षा की दशा सुधारने के प्रोजेक्ट को प्रायोजित करना।
15. गुरुकुल शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा प्रथा को बढ़ावा देना।
16. यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा की शिक्षा को बढ़ावा देना।
17. समाज पारम्परिक साहसिक खेलों को बढ़ावा देना।

Education in  
on for all  
deprived  
friendly  
omen and  
needy,  
exchange  
vation o  
fitment o

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाम निहित नहीं है।

Dr. S. S. Gupta  
अध्यक्ष

Lalita Pawan  
मंत्री

10. साधारण सभा की बैठकें

- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
- 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
- 3- बैठक को सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन निम्नलिखित नियम नहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे ;
- 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन :

संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1. अध्यक्ष-एक | 2. उपाध्यक्ष-एक  |
| 3. मंत्री-एक  | 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| 5. सदस्य-सात  |                  |

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित कर कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

संस्था की कार्यकारिणी में ..... सदस्य कुल ..... सदस्य होंगे।

- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
- 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
- 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-


- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना।

उन्हें सेवा मुक्त करना।

- 4- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 5- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 6- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

  
अध्यक्ष

  
मंत्री

  
कोषाध्यक्ष

(10)

  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY



संस्था

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिया न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

सदस्यों का वर्गीकरण

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1-संरक्षक   | 2-विशिष्ट |
| 3-सम्माननीय | 4-साधारण  |
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

5. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

उपनिषम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- |             |           |               |
|-------------|-----------|---------------|
| 1-संरक्षक   | राशि..... | वार्षिक/आजन्म |
| 2-विशिष्ट   | राशि..... | वार्षिक/आजन्म |
| 3-सम्माननीय | राशि..... | वार्षिक       |
| 4-साधारण    | राशि 25/- | वार्षिक       |

उक्त राशि एक मुरत अथवा रु. 300 की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
  - 2-त्याग पत्र देने पर
  - 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
  - 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर
- संस्था के उपनिषम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य भिलवार साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

सा से

साधारण सभा

साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
  - 2- वार्षिक बजट पारित करना।
  - 3- प्रबन्धकारिणी की मरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।
  - 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 अथवा अधिक अथवा परिवर्द्धन करना।
- (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

*[Signature]*

अध्यक्ष

*[Signature]*

मन्त्री

*[Signature]*

अध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की  
को बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकती जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय नहीं होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के  
पदाधिकारियों के  
अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1- बैठकें बुलाने का अधिकार।
- 2- मत बरतने पर निर्णायक मत देना।
- 3- बैठकें आरंभ करना।
- 4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

उपाध्यक्ष :

- 1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री :

- 1- बैठकें आरंभ करना।
- 2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
- 3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5- संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कौन्सी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6- पत्र व्यवहार करना।
- 7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

- 1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।

*P.R. Supte*  
अध्यक्ष

*Lalita Rawan*  
मंत्री

*[Signature]*  
उपाध्यक्ष

(11)

*P.R. Supte*  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

1. न
  2. न
  3. न
  4. न
  5. न
  6. न
- 1- वन्द्य  
2- शुल्क  
3- अनुदान  
4- सहायता  
5- राजकीय अनुदान
- 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहाकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।  
2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन संभव होगा।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

- 1- वन्द्य
- 2- शुल्क
- 3- अनुदान
- 4- सहायता
- 5- राजकीय अनुदान

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

रजिस्ट्रार मंडल

1- मन्त्री ₹ 50,000/- रु.  
2- कोषाध्यक्ष ₹ 10,000/- रु.  
3- कोषाध्यक्ष

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षण की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।


18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखों का गार्धिक अंकेक्षण करया जादेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति सम उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखें जोखे का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं... को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष :  Lalita Rawan  
मन्त्री

  
कोषा

दिनांक 22/10/06  
रजिस्ट्रार मंडल

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था

के सशपथ घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी संस्था का पंजीयन..... दिनांक..... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य..... है।
3. संस्था की आमसभा दिनांक..... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक..... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबंधकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमां आ: : में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।  
संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक..... की सूचना का नोटिस दिनांक..... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
6. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
7. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीयन-रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

  
PRESIDENT  
EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY

7

40 वर्षों से  
मुद्रण के क्षेत्र में  
नये आयाम  
स्थापित करती  
राजस्थान  
की  
शीर्ष  
सहकारी  
संस्था

राज्य सरकार के विभागों एवं सभी सहकारी संस्थाओं के मुद्रण के लिए अधिकृत  
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड  
जी-1/138, मालवीय इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर-302 017 फोन 2751352, 2751417

9414869669  
9414388790